7

Referral Transport

Annexure

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020 – 2021

कार्यक्रम का नाम: Referral Transport

बजट/एफ०एम०आर शीर्ष (ROP के आधार पर): Free Referral Transport – JSSK for Pregnant Women
नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर कोड संख्या (ROP के आधार पर): 7.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

"नेशनल एम्बुलेन्स सेवा" की विशेषतायें:

1. यह सेवा 24x7 घण्टे उपलब्ध है तथा एम्बुलेन्स उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क टॉल फ्री नम्बर '102' पर डायल किया जा सकता है।
2. इन एम्बुलेन्सों को सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों तथा उन स्वास्थ्य संस्थानों पर केंद्रित किया गया है जहां प्रसव सेवा उपलब्ध है।
3. **इस योजना के अर्न्तगत निम्नांकित लाभार्थियों को निःशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जायेगी:–**

   (क) सभी गर्भवती महिलाओं के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव (सामान्य अथवा सिजेरियन) हेतु

   i) आवास से स्वास्थ्य संस्थान
   ii) प्रसवपूर्ण एवं प्रसवोपरानत जटिलताओं हेतु (42 दिनों तक)
   तथा iii) प्रसवोपरान्त घर वापसी

   (ख) जन्म से एक वर्ष तक के सभी बीमार शिशु हेतु

   i) घर से स्वास्थ्य संस्थान
   ii) जटिलता की स्थिति में एक स्वास्थ्य संस्थान से दूसरे स्वास्थ्य संस्थान तक
   तथा iii) इलाजोपरान्त घर वापसी

   (ग) खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा तैयार PHH (Priority Household) की सूची के पूर्विकता प्राप्त राशन कार्डधारी परिवार के सदस्य

   (घ) वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से ऊपर) के इलाज़ हेतु

   (ङ) सड़क दुर्घटना (प्रथम परिवहन)

   (च) कालाजार मरीजों के आवागमन हेतु

   (छ) "राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत जिला/चिकित्सा संस्थानों में Referred बच्चों के साथ उनके किसी एक अभिभावक को स्वास्थ्य जाँच स्थलों से रेफर किये गये स्थानों तक आवागमन की सुविधा मुफ्त" प्रदान की जायेगी।

   (ज) AES/ JE (मस्तिष्क ज्वर) के मरीज।

ईकाई राशि (रु० में) :

प्रति BLS एम्बुलेन्स के परिचालन हेतु सेवा प्रदाता से अनुबंध के शर्तानुसार निर्धारित दर पर भुगतान हेतु तत्काल रु० 1,20,000/- प्रतिमाह प्रति एम्बुलेन्स की के दर से आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : रविश किशोर, उप सचिव–सह–प्रभारी रेफरल ट्रांसपोर्ट

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9473197729

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar Pa...

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष – 2020–21

कार्यक्रम का नाम– **Drop back for Sterilization services under FP**

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष– 7 (Referral Transport)

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): 7.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार दृढ़संकल्पित है। भारत सरकार द्वारा पत्रांक संख्या D.O No. 11024/2014-FP Dated.30th January, 2015 के द्वारा सूचित है कि इच्छुक लाभार्थी परिवार कल्याण ऑपरेशन हेतु सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आते हैं तो उन्हें बंध्याकरण ऑपरेशन/पुरूष नसबंदी पश्चात् वापस घर तक जाने हेतु वाहन की व्यवस्था किया जाना है। उक्त हेतु PIP अंतर्गत वितीय वर्ष 2020–21 में राशि का प्रावधान किया गया हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में बंध्याकरण/नसबंदी पश्चात् लाभार्थी को घर वापसी हेतु Ambulance (102 एवं 108) के माध्यम से करने हेतु व्यवस्था किया गया है।

इकाई राशि (रू० में) Ambulance के माध्यम से परिवहन हेतु निर्धारित राशि।

वित्तीय दिशा–निर्देशः–

1. Fixed Day Services अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों पर उपलब्ध Ambulance (102 एवं 108) का उपयोग परिवार कल्याण ऑपरेशन उपरान्त प्रत्येक लाभार्थी को उनके एक परिजन के साथ घर पहुँचाने हेतु किया जाना है ।
2. साथ ही **Drop back for Sterilization services under FP** के गतिविधि के अन्तर्गत NSV विधि से पुरूष नबसंदी के 1 घंटे पश्चात्, परम्परागत (Conventional) विधि से पुरूष नसबंदी एवं महिला बंध्याकरण के अगले दिन अथवा चिकित्सक के सुझाव के अनुसार लाभार्थी को घर वापस ले जाया जाना है।
3. Ambulance के क्षमता की अनुसार लाभार्थी एवं उनके एक परिजन को साथ में ले जाने का प्रावधान किया जा सकता है। यह ध्यान में रखा जाना है कि लाभार्थियों के घर की भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार लाभार्थियों को Ambulance में ले जाया जाना श्रेयस्कर होगा।
4. Ambulance का प्रयोग करने पर कुल लाभार्थी की संख्या को रू० 250/– के गुणित कर प्रतिफलित राशि Ambulance अधिकृत एजेन्सी को भुगतान किया जायेगा, जो एम्बुलेन्स सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत मासिक विपत्र के अन्दर ही होगा।
5. एम्बुलेन्स के विपत्र का भुगतान निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रख कर किया जायेगाः–

   (क) यदि एम्बुलेन्स के द्वारा परिवार कल्याण ऑपरेशन उपरान्त लाभार्थी को Drop Back किया जाता है अर्थात् यदि लाभार्थी को स्वास्थ्य संस्थान/अस्पतालों से उनको घर वापस किया जाता है तो प्रति लाभार्थी Drop Back की निश्चित राशि 250/– रू० का भुगतान एम्बुलेन्स सेवा प्रदाता को FRM Code 7.3 से किया जायेगा। एम्बुलेन्स के प्रस्तुत मासिक विपत्र में से उक्त Drop Back मद में भुगतेय राशि को घटाकर शेष राशि विपत्र की राशि का भुगतान Referral Transport के FMR Code 7.1 एवं 7.4.9 से किया जाएगा।

Dr. Md. Sajjad Ahmad
State Programme Officer
State Health Society, Bihar

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

(ख) 102 एम्बुलेन्स सेवा प्रदाता को यह स्पष्ट रूप से निदेशित किया जाता है कि वे विपत्र के साथ परिवार कल्याण ऑपरेशन वाले Drop Back लाभार्थियों की सूची अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे ताकि Drop Back राशि का भुगतान Family Planning के FMR Code: 7.3 से करने के पश्चात् शेष विपत्र राशि का भुगतान Referral Transport के FMR Code: 7.1 एवं 7.4.9 से किया जा सके।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का नाम – **डा0 मो0 सज्जाद अहमद / निशांत कुमार**
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 9473199393 / 9431005971

Dr. Md. Sajjad Ahmad
State Programme Officer
State Health Society, Bihar

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar

Annexure

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020 – 2021

कार्यक्रम का नाम : Referral Transport

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर) : State Basic Ambulance / Dial 102 / Dial 104

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 7.4.1.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

इस सेवा के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के एम्बुलेन्सों का परिचालन किया जा रहा है:–

(i) 05 Power Grid द्वारा प्रदत्त ALS एम्बुलेन्स का परिचालन विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल द्वारा द्वारा किया जा रहा है।

क्रमांक	चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/संस्थान का नाम	क्रमांक	चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/संस्थान का नाम
1.	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना	4.	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर
2.	इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना।	5.	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर
3.	इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना		

(ii) टॉल फ्री सं0 102 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में कुल 44 ALS (पुराने) एम्बुलेन्स का परिचालन सेवा प्रदाता मेसर्स कन्सोर्टियम ऑफ पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्युटर्स प्रा० लि० और सम्मान फाउन्डेशन, पटना द्वारा किया जा रहा है, जिनके परिचालन व्यय का भुगतान ALS एम्बुलेन्स के लिए 102 अनुबंध–पत्र के Annexure-C में निर्धारित दर पर किया जायेगा।

(iii) टॉल फ्री सं0 102 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में कुल 46 ALS (नये) एम्बुलेन्स का परिचालन सेवा प्रदाता मेसर्स कन्सोर्टियम ऑफ पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्युटर्स प्रा० लि० और सम्मान फाउन्डेशन, पटना द्वारा किया जा रहा है, जिनका परिचालन व्यय दर 102 अनुबंध–पत्र के Annexure-C में वर्णित है।

(iv) भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (सड़क सुरक्षा) द्वारा ट्रॉमा सेन्टर के लिए प्राप्त 09 एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बुलेन्स का परिचालन निम्न चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/जिलों के द्वारा टॉल फ्री नं० 102 के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स कन्सोर्टियम ऑफ पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्युटर्स प्रा० लि० और सम्मान फाउन्डेशन, पटना द्वारा किया जाना है।

क्रमांक	चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला का नाम	क्रमांक	जिला/अनुमण्डलीय अस्पताल का नाम
1	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर	6	सदर अस्पताल, मधेपुरा
2	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा	7	सदर अस्पताल, सासाराम
3	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया	8	सदर अस्पताल, गोपालगंज
4	सदर अस्पताल, किशनगंज	9	अनुमण्डलीय अस्पताल, झंझारपुर, मधुबनी
5	सदर अस्पताल, पूर्णियाँ		

(v) **सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त कराये गये BLS एम्बुलेन्स :–**

1. 102 सेवा प्रदाता द्वारा Turnkey Basis के आधार पर राज्य के रोगियों को एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध कराने हेतु BLS एम्बुलेन्स उपलब्ध कराये गये हैं, जिनका परिचालन व्यय दर 102 अनुबंध–पत्र के Annexure-C में वर्णित है। उक्त एम्बुलेन्सों का उपयोग टॉल फ्री नं० 102 के माध्यम से राज्य के सभी प्रकार के रोगियों के परिवहन हेतु किया जा रहा है।

(vi) **शव वाहन सेवा :–**

1. टॉल फ्री सं0 102 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में शव वाहन का परिचालन सेवा प्रदाता मेसर्स कन्सोर्टियम ऑफ पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्युटर्स प्रा० लि० और सम्मान फाउन्डेशन, पटना द्वारा किया जा रहा है, जिनका परिचालन व्यय दर 102 अनुबंध–पत्र के Annexure-C में वर्णित है।
2. यह वाहन मानव शव को ढोने का कार्य करेगा।

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

इकाई राशि (रू० में) एवं वित्तीय दिशा–निर्देश :–

(क) कंडिका (i) में वर्णित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थान में परिचालित 05 ALS एम्बुलेन्सों के परिचालन व्यय हेतु रू० 1,25,000/– प्रति माह प्रति ALS एम्बुलेन्स की दर से संबधित जिलों के सिविल सर्जन को राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

(ख) कंडिका (ii) में वर्णित प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं जिले में परिचालित कुल 44 ALS के परिचालन व्यय हेतु रू० 1,25,000/– को मानक मानते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रावधान के अनुसार 20% राशि (अर्थात 25,000/– रूपये) भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। शेष परिचालन व्यय का वहन राज्य सरकार से अपेक्षित है। तद् के आलोक में वर्तमान में उपलब्ध राशि आवंटित की जा रही है।

(ग) कंडिका (iii) में वर्णित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा जिलों में परिचालित 46 ALS एम्बुलेन्सों के परिचालन व्यय हेतु रू० 1,40,000/– प्रति माह प्रति ALS एम्बुलेन्स की दर से संबधित जिलों के सिविल सर्जन को राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

(घ) कंडिका (iv) में वर्णित 09 ट्रॉमा सेन्टर के परिचालन व्यय हेतु रू० 1,25,000/– को मानक मानते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रावधान के अनुसार 50% राशि (अर्थात 62,500/– रूपये) भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। शेष परिचालन व्यय का वहन राज्य सरकार से अपेक्षित है। तद् के आलोक में वर्तमान में उपलब्ध राशि आवंटित की जा रही है।

(ङ) कंडिका (v) में वर्णित 102 सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त BLS एम्बुलेन्स के परिचालन व्यय हेतु रू0 1,20,000/- प्रति माह प्रति एम्बुलेन्स की दर से तत्काल जिलों के सिविल सर्जन को राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

(च) कंडिका (vi) में वर्णित 49 शव वाहन के परिचालन व्यय हेतु रू0 80,000/- प्रति माह प्रति शव वाहन की दर से जिलों के सिविल सर्जन को राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित लाभार्थियों को निःशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जायेगी :–

<u>कंडिका (ii) के लिए :–</u>

(क) खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा तैयार PHH (Priority Household) की सूची के पूर्विकता प्राप्त राशन कार्डधारी परिवार के सदस्य

(ख) सड़क दुर्घटना (प्रथम परिवहन)

तथा (ग) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/जिला अस्पताल के अधीक्षकों के आदेशानुसार विशेष परिस्थिति में।

कंडिका (iii) के लिए :–

(क) खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा तैयार PHH (Priority Household) की सूची के पूर्विकता प्राप्त राशन कार्डधारी परिवार के सदस्य

(ख) सड़क दुर्घटना (प्रथम परिवहन)

तथा (ग) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/जिला अस्पताल के अधीक्षकों के आदेशानुसार विशेष परिस्थिति में।

कंडिका (iv) के लिए :–

i) इन एम्बुलेन्स का प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को ससमय अस्पताल पहुँचाने हेतु किया जाना है। इन एम्बुलेन्स को यथासंभव राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित सरकारी अस्पतालों अथवा टॉल संग्रहण केन्द्रों पर स्टेशन किया जाना उचित है ताकि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को ससमय एम्बुलेन्स की सेवा प्राप्त हो सके। इस आलोक में इन एम्बुलेन्सों के स्टेशन निर्धारित किए जाने पर संबंधित सिविल सर्जन अपने स्तर से निर्णय लेंगे।

ii) इन एम्बुलेन्सों को परिचालन टॉल फ्री नम्बर 102 के माध्यम से किया जायेगा।

iii) दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही इन एम्बुलेन्सों के चालक दुर्घटनाग्रस्त मरीज को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक उपचार कराते हुए विशिष्ट उपचार हेतु जिला अस्पताल अथवा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में पहुँचायेंगे।

iv) समान्यतः इन एम्बुलेन्सों का प्रयोग दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के अस्पताल ले जाने हेतु मुफ्त परिवहन के लिए होगा तथा इन एम्बुलेन्स कर्मियों का दायित्व होगा कि सरकारी अस्पताल में ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को ले जायें। केवल विशेष परिस्थिति में संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन के निर्देश प्राप्त कर ही ये

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar Pa

निजी अस्पताल में दुर्घटनाग्रस्त मरीज को पहुँचा सकते हैं। अधीक्षक/सिविल सर्जन इसकी प्रविष्टि इनके लॉग बुक में करेंगे।

v) दुर्घटना से भिन्न मरीजों का परिवहन विशेष परिस्थिति में प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक/उपाधीक्षक के अनुमति उपरांत किया जायेगा जिसके लिए प्रति कि०मी० (एक तरफ का) रू० 10/- के दर से शुल्क लिया जायेगा। इससे प्राप्त निधि को संबंधित रोगी कल्याण समिति के खाता में जमा किया जायेगा तथा इस निधि का उपयोग एम्बुलेन्स परिचालन के लिए किया जा सकेगा।

कंडिका (v) के लिए :–

(क) सभी गर्भवती महिलाओं के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव (सामान्य अथवा सिजेरियन) हेतु

i) आवास से स्वास्थ्य संस्थान

ii) प्रसवपूर्ण एवं प्रसवोपरानत जटिलताओं हेतु (42 दिनों तक)

तथा iii) प्रसवोपरान्त घर वापसी

(ख) जन्म से एक वर्ष तक के सभी बीमार शिशु हेतु

i) घर से स्वास्थ्य संस्थान

ii) जटिलता की स्थिति में एक स्वास्थ्य संस्थान से दूसरे स्वास्थ्य संस्थान तक

तथा iii) इलाजोपरान्त घर वापसी

(ग) खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा तैयार PHH (Priority Household) की सूची के पूर्विकता प्राप्त राशन कार्डधारी परिवार के सदस्य

(घ) वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से ऊपर) के इलाज़ हेतु

(ङ) सड़क दुर्घटना (प्रथम परिवहन)

(च) कालाजार मरीजों के आवागमन हेतु

(छ) "राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत जिला/चिकित्सा संस्थानों में Referred बच्चों के साथ उनके किसी एक अभिभावक को स्वास्थ्य जाँच स्थलों से रेफर किये गये स्थानों तक आवागमन की सुविधा मुफ्त" प्रदान की जायेगी।

(ज) AES/ JE (मस्तिष्क ज्वर) के मरीज।

कंडिका (iv) के लिए :–

(क) खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा तैयार PHH (Priority Household) की सूची के पूर्विकता प्राप्त राशन कार्डधारी परिवार के सदस्य

(ख) विशेष एवं आकस्मिकता की स्थिति में संबंधित सिविल सर्जन, उपाधीक्षक तथा अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के आदेशानुसार

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : रविश किशोर, उप सचिव–सह–प्रभारी रेफरल ट्रांसपोर्ट

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9473197729

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष–2020-21

कार्यक्रम का नाम: NTEP

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): Refereal Transport /Patient Support & Transportation Charges

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 7.5.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत संभावित एम0डी0आर0 –टी0बी0 रोगी / एक्स0 डी0आर0–टी0बी0 रोगियों को सहायता एवं यातायात पर होने वाली व्यय राशि का भुगतान इस मद से किया जाता है –

इकाई राशि (रू0 मे) :– 1,01,50,000.00 (एक करोड़ एक लाख पच्चास हजार रूपये मात्र)

वित्तीय दिशा–निर्देश :–

- Presumtive TB या एम0डी0आर0 टीबी मरीजों को जिला यक्ष्मा केन्द्र,/ Collection Center/C&DST Lab/ CBNAAT Site पर जाँच या फॉलो–अप हेतु आने–जाने के लिए अधिकतम 200/– (दो सौ रूपये मात्र) दो बार के लिए अनुमान्य है ।
- एम0डी0आर0 टीबी मरीजों को District DR-TB Center/ Nodal DR-TB Center पर रोगी एवं सहायक को आने–जाने के लिए अधिकतम 500/– (पाँच सौ रूपये मात्र) दो बार के लिए अनुमान्य है ।
- सभी जिलों (पटना, भागलपुर एवं दरभंगा को छोड़कर) जिलों द्वारा IRL/C&DST प्रयोगशालाओं में बलगम भेजने हेतु सरकारी कर्मियों को देय दैनिक भत्ता एवं अनुमान्य पात्रता के अनुरूप वास्तविक भाड़ा तथा Human Courier को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी एवं वास्तविक भाड़ा (अधिकतम 1000/– एक हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह 4 बार के लिए अनुमान्य है ।

  मानक के अनुरूप सेम्पल की पैकिंग कर भेजा जाना आवश्यक है अन्यथा इसके दुष्परिणाम के लिए संबंधित जिला के संचारी रोग पदाधिकारी/प्रयोगशाला प्रावैधिक जवाबदेह होंगे ।

- वेतनहीन डॉट प्रोवाईडर / समुदायीक कार्यकर्ता को बलगम सैम्पुल डी0एम0सी0 विहिन पी0एच0आई0 से डी0एम0सी0 तक पहूँचाने हेतु 25/–रू0 प्रति रोगी की दर से (NATIONAL GUIDELINE FOR PARTNERSHIP 2014 का पालन करते हुये) भुगतान किया जायेगा ।

संलग्नः–

- Norms and Basic of costing for RNTCP under NSP-2017-25
- Financial Management Mannual for State and District Societies

उक्त निर्देशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा0 (मेजर) के0 एन0 सहाय

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :–0612- 2636383/ 9473197731

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष (2020-21)

कार्यक्रम का नामः **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम**

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Ambulatory Services

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): 7.7

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)

1. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत जिला के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों से आवश्यकता अनुसार मानसिक रोगियों को जिला मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेन्स के माध्यम से मानसिक रोगियों को लाने, ले जाने एवं रेफेर का प्रावधान है। आवश्यकता पड़ने पर जिला मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र से रोगियों को जिला /राज्य से बाहर उच्च (tertiary higher centre) केन्द्रों में रेफर किया जा सकता है।

2. उपरोक्त हेतु स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक से परामर्श एवं जिला अवस्थित मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी से परामर्श कर रोगी को एम्बुलेन्स सेवा प्रदान कर सकेंगे।

इकाई राशि (रू० में) : प्रति जिला 50,000/- (पचास हज़ार रूपये)

वित्तीय दिशा निर्देशन:

उपरोक्त हेतु 102/108 एम्बुलेंस सेवा को प्राथमिकता देना है तथा 102/108 एम्बुलेंस सेवा की अनुप्लब्धता एवं आपातकालीन स्थिति में ही प्राइवेट एम्बुलेंस कि सेवा में इस मद का उपयोग किया जाना है ।

*इस मद से व्यय जिला में हो रहे एम्बुलेंस सेवा के अनुमोदित दरों के अनुसार ही किया जाना है

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम
डॉ राजेश कुमार,
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर
9400031 57

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

SPO
MENTAL HEALTH, SHSB